

प्रवासी मजदूर का शव गांव पहुंचाने में सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन ने संभाली जिम्मेदारी



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर निवासी प्रवासी मजदूर अंकित कुमार की असमय मृत्यु के बाद उनके शव को पैतृक गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन ने संभाली। फाउंडेशन के संस्थापक प्रवीण कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम ने पुलिस और चिकित्सकीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर पोस्टमार्टम, आवश्यक दस्तावेज, अनुमति और एनओसी जैसी प्रक्रियाओं में परिजनों को सहयोग उपलब्ध कराया। जानकारी के अनुसार, चेंनापट्टना क्षेत्र में निर्माण कार्य से जुड़े कुछ प्रवासी मजदूरों के बीच हुए विवाद के बाद अंकित कुमार की मृत्यु हो गई। मामले में दो नाबालिगों को आरोपी बनाए जाने की बात सामने आई है। उनकी उम्र करीब 16 से 17



वर्ष बताई जा रही है। नाबालिग होने के कारण उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। मामले में पुलिस की कार्रवाई और किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी होने की जानकारी दी गई है। चेंनापट्टना से बेंगलुरु, फिर पटना पहुंचाया गया शव अंकित कुमार के चाचा राजेश साहनी ने घटना के बाद सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन से संपर्क कर शव को बिहार स्थित पैतृक गांव तक पहुंचाने में सहयोग शव ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की। बेंगलुरु से शव को हवाई मार्ग से पटना भेजने और वहां से एंबुलेंस के माध्यम से समस्तीपुर जिले तक ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की गई। फाउंडेशन के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज की और प्रशासनिक अनुमति पूरी कराने के लिए टीम लगातार समन्वय करती

रही। भाई और मित्र की हवाई यात्रा की भी व्यवस्था शव के परिवहन के साथ दिवंगत अंकित कुमार के भाई संजीव कुमार और उनके मित्र रौशन साहनी के बिहार जाने की भी व्यवस्था की गई। फाउंडेशन की ओर से दोनों के हवाई टिकट कराने तथा यात्रा संबंधी खर्च के लिए सहयोग उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। संस्था के अनुसार, परिवार पहले से ही आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा था। ऐसे में शव को घर पहुंचाने के साथ परिजनों की यात्रा की व्यवस्था करना भी तत्काल प्राथमिकता में शामिल किया गया। गांव में पसरा मातम अंकित कुमार के निधन की खबर और शव के गांव पहुंचने की सूचना के बाद विभूतिपुर में शोक का माहौल छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। ग्रामीणों और परिचितों ने परिवार के प्रति संवेदनशीलता की तथा अंतिम यात्रा में शामिल होकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी। अंकित कुमार

की असमय मृत्यु ने परिवार के साथ गांव के लोगों को भी गहरे सदमे में डाल दिया। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित परिवार के साथ मौजूद रहे। रोजगार और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा का प्रवीण कुमार पांडेय ने इस घटना के संदर्भ में बिहार में रोजगार के अवसरों और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के सामने रोजगार के अलावा दूसरे राज्यों में रहने, सुरक्षा और आपात स्थिति में परिवार तक सहायता पहुंचाने जैसी चुनौतियां भी रहती हैं। उनके अनुसार, अंकित कुमार की घटना इन मुद्दों पर प्रशासन और समाज का ध्यान आकर्षित करती है। पांच वर्षों में 20 से अधिक मामलों में सहयोग का दावा सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन के अनुसार, संस्था पिछले करीब पांच वर्षों में 20 से अधिक मामलों में दूसरे राज्यों से मृतकों के शव उनके गृह जिले अथवा गांव तक पहुंचाने में सहयोग कर चुकी है। फाउंडेशन का कहना है कि किसी प्रवासी श्रमिक की दूसरे राज्य में मृत्यु होने पर उसके शव को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रशासनिक स्तर पर

भी संवेदनशीलता के साथ लिया जाना चाहिए। संस्था के अनुसार, पोस्टमार्टम, दस्तावेज, अनुमति, एनओसी और परिवहन जैसी औपचारिकताएं शोकग्रस्त परिवार के लिए कठिन हो सकती हैं। निर्माण स्थलों पर नाबालिगों की मौजूदगी पर सवाल मामले में दो नाबालिगों के आरोपी बनाए जाने की जानकारी के बाद निर्माण स्थलों पर नाबालिगों की मौजूदगी और श्रमिक सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठे हैं। फाउंडेशन ने इस संदर्भ में नाबालिगों के निर्माण कार्य में शामिल होने तथा प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की आवश्यकता जताई है। हालांकि, घटना से जुड़े आरोपों और परिस्थितियों की अंतिम पुष्टि संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगी। नाबालिग आरोपियों की पहचान कानून के अनुरूप सहित अन्य लोगों के नाम पुलिस की टीम के अनुसार, पोस्टमार्टम, दस्तावेजी प्रक्रिया, अनुमति और एनओसी में समय लगा। टीम सुबह से ही शव को सम्मानपूर्वक परिवार तक पहुंचाने की प्रक्रिया में जुटी रही। सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन ने कहा कि ऐसे कठिन समय में उसका उद्देश्य मृतक के परिवार के साथ खड़ा होना, प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक समन्वय करना और शव को सम्मानपूर्वक पैतृक गांव तक पहुंचाने में सहयोग प्रैक है। समाचार प्रेक प्रवीण कुमार पांडेय, बेंगलुरु।

तमिलनाडु के कथित स्कूल मान्यता मामले में ED की एंट्री , 100 करोड़ के लेनदेन की जांच तेज



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com चेन्नई, 2 अक्टूबर 2026। तमिलनाडु में निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता और अन्य स्वीकृतियां दिलाने के नाम पर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू कर दी है। ईडी ने चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अन्बिल महेश पोथ्यामोड़ी और पी.टी. अरसाकुमार ने उच्छे अदालत से डिफॉल्ट जमानत भी मिली, क्योंकि निर्धारित अवधि में पुलिस अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी थी। अन्बिल महेश से भी पूछताछ CCB ने सितंबर में अन्बिल महेश को मामले में आरोपी के तौर पर शामिल किया था। इसके बाद चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में उनसे जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई। पुलिस ने तलाशी के दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे। बाद में अन्बिल महेश पूछताछ के लिए CCB के समक्ष पेश हुए। अन्बिल महेश ने पूछताछ के दौरान आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का भी रुख किया है। अब वित्तीय लेनदेन की पड़ताल करेगी ED ईडी ने CCB से प्राथमिकी और मामले से संबंधित

इसके बदले स्थायी मान्यता, स्कूलों के उन्नयन, डीटीसीपी मंजूरी तथा अन्य सरकारी स्वीकृतियां दिलाने के आश्वासन से जुड़ा है। शिकायत के आधार परCCB ने जांच शुरू की थी। पुलिस की जांच में अब तक 177 निजी स्कूलों से जुड़ी शिकायतों की पड़ताल किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामले में पी.टी. अरसाकुमार को प्रमुख आरोपियों में बताया गया है। पुलिस के अनुसार, उन्होंने निजी स्कूल प्रबंधनों से बड़ी रकम जुटाई थी। सितंबर में उच्छे अदालत से डिफॉल्ट जमानत भी मिली, क्योंकि निर्धारित अवधि में पुलिस अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी थी। अन्बिल महेश से भी पूछताछ CCB ने सितंबर में अन्बिल महेश को मामले में आरोपी के तौर पर शामिल किया था। इसके बाद चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में उनसे जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई। पुलिस ने तलाशी के दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे। बाद में अन्बिल महेश पूछताछ के लिए CCB के समक्ष पेश हुए। अन्बिल महेश ने पूछताछ के दौरान आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का भी रुख किया है। अब वित्तीय लेनदेन की पड़ताल करेगी ED ईडी ने CCB से प्राथमिकी और मामले से संबंधित

दस्तावेज हासिल किए हैं। एजेंसी का शुरुआती फोकस कथित रकम के लेनदेन, धन के स्रोत और उसके संभावित इस्तेमाल की कड़ियों की जांच पर है। आगे की कार्रवाई प्रारंभिक वित्तीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने इससे पहले मामले से जुड़े अन्य परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया था। 29 सितंबर को हुई एए कार्रवाई में पांच स्थानों से 44 दस्तावेज और एक लैपटॉप जब्त किए जाने की जानकारी पुलिस की ओर से सामने आई थी। पूर्व विधायक मुथुकुमार का नाम भी जांच में मामले की पुलिस जांच में पूर्व विधायक मुथुकुमार का नाम भी सामने आया है। उनके खिलाफ जांच जारी है और पुलिस उनकी भूमिका से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति की भूमिका या आरोपों को अंतिम रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। इसी की जांच शुरू होने के बाद अब इस मामले में कथित भ्रष्टाचार के साथ—साथ वित्तीय लेनदेन और धन के प्रवाह की भी अलग से जांच होगी। मामले में नामजद सभी व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने पक्ष रखने का अधिकार है और आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में होने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

बिलेकहल्ली में मेट्रो लाइन किनारे बदली सूरत

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु साउथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BSCC) ने बन्नेरघट्टा मेन रोड के बिलेकहल्ली क्षेत्र में IIMB मेट्रो लाइन के पास सफाई, दीवार सौंदर्यीकरण और पैदल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निगम आयुक्त के. एन. रमेश ने ‘द अगली इंडियंस’ के सहयोग से क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए ब्लैक स्पोर्ट की सफाई और करीब 500 मीटर लंबी कंपाउंड दीवार सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। यह पहल ‘जस्ट क्लीन बैंगलोर’ अभियान के तहत की गई। अधिकारियों के अनुसार, आगामी पिक लाइन मेट्रो सेवा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशनों तक सुरक्षित और सुगम लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकसित करना प्राथमिकता में शामिल है। इसके तहत पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ और आसपास के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित किया जा रहा है। फुटपाथ पर बनी पुरानी दीवार हटाई IIMB मेट्रो स्टेशन से जुड़ने वाली सड़क पर सवादत्ती एलम्मा मंदिर के पास करीब 10 वर्ष पहले बनाई गई एक दीवार के कारण

फुटपाथ का बड़ा हिस्सा बाधित था। इससे पैदल यात्रियों को सड़क पर चलना पड़ता था और आसपास का क्षेत्र कचरे के ब्लैक स्पोर्ट में तब्दील हो गया था। नगर निगम के इंजीनियरों ने इस दीवार को हटाकर

से फुटपाथ के सौंदर्यीकरण के लिए फूलों के गमले लगाए गए हैं। साथ ही, सुबह और रात के समय मेट्रो यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सड़कों और जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण सफाई और अतिक्रमण संबंधी कार्यों का जायजा लेने के बाद आयुक्त के. एन. रमेश ने IIMB परिसर तथा विज्ञा बैंक लेआउट के पीछे स्थित सड़कों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को फुटपाथ, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और ड्रेनेज लाइनों के रखरखाव से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मेट्रो स्टेशन से जुड़ने वाली सड़कों पर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक सड़क चौड़ाकरण और अन्य सुधार कार्यों को भी शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। निगम का उद्देश्य मेट्रो यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुगम और बेहतर पैदल संपर्क विकसित करना है। इस अवसर पर जॉइंट कमिश्नर डॉ. एन. एन. मधु, चीफ इंजीनियर बसवराज कबाड़े, IIMB निदेशक डॉ. हरीश कुमार, GBA एवेसडर अरुण पई, IIMB के वरिष्ठ अधिकारी, ‘द अगली इंडियंस’ के सदस्य, नगर निगम अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म–7 के इस्तेमाल को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री की शिवकुमार द्वारा भाजपा पर मतदाता सूची से पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की कथित साजिश का आरोप लगाए जाने के बाद कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने पलटवार किया है। विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री से आरोपों को साबित करने की चुनौती देते हुए कहा कि यदि आरोप साबित नहीं होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विजयेंद्र ने शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित अपने धवलगिरी निवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा फॉर्म–7 को लेकर किसी भी कार्रवाई या एफआईआर से डरने

एफआईआर और जिम्मेदार लोगों की पहचान की मांग भी की थी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फॉर्म–7 जमा होने का दावा करते हुए चुनाव आयोग से बूथ और विधानसभा क्षेत्रवार जांच कराने की मांग की। चुनाव आयोग ने भी फर्जी या गलत आपतियां दाखिल किए जाने की शिकायतों पर सत्यापन और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 25 हजार फॉर्म–7 का दावा विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्नाटक में करीब 25,000 फॉर्म–7 आवेदन दाखिल हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री लाखों मतदाताओं के नाम हटाने की बात कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप से दाखिल किए गए फॉर्म–7 की संख्या और कथित साजिश के बीच संबंध क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म–7 निर्वाचन प्रक्रिया में निर्धारित प्रावधान है और इसके माध्यम से मतदाता सूची में किसी कथित आपत्र या गलत प्रविष्टि के खिलाफ आपत्ति दर्ज की जा सकती है। हालांकि, किसी आवेदन के खेा या अवैध होने का अंतिम निर्धारण संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होना है। एक विधानसभा क्षेत्र में 1.30 लाख मतदाता बढ़ने का दावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मैसूर के नरसिंहराजा और कृष्णराजा विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि एक

विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो चुनावों के दौरान मतदाताओं की संख्या करीब 1.30 लाख बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ऐसे लोगों के नाम जोड़ने की कोशिश हुई जो दूसरे राज्यों या अन्य विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हैं। विजयेंद्र ने बेंगलुरु के शांतिनगर और शिवाजीनगर तथा गुलबर्गा दक्षिण सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मतदाता सूची को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने दक्षिण कन्नड़ में केरल से जुड़े कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने का भी दावा किया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए निर्वाचन अधिकारियों की जांच और दस्तावेजी सत्यापन आवश्यक है। FIR को लेकर भी भाजपा का कड़ा रुख विजयेंद्र ने कहा कि फॉर्म–7 से जुड़े विवादों में यदि भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि एफआईआर की संख्या चाहे जितनी हो, भाजपा कार्यकर्ता कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। उनका आरोप था कि कांग्रेस सरकार चुनाव आयोग की प्रक्रिया को राजनीतिक विवाद का विषय बना रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि आरोप लगाने के बजाय संबंधित दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक किए जाएं तथा जांच को आगे बढ़ने दिया जाए। चुनाव आयोग की भूमिका पर आमने–सामने कांग्रेस और भाजपा फॉर्म–7 विवाद ने कर्नाटक में निर्वाचन प्रक्रिया की

पारदर्शिता को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस का कहना है कि बड़े पैमाने पर दाखिल किए गए फॉर्म–7 के जरिए पात्र मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास हुआ तो यह गंभीर मामला है। भाजपा का कहना है कि मतदाता सूची में संदिग्ध या अपात्र प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज करना निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे अपने आप में अवैध नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने अब फर्जी आपत्तियों के मामलों में सख्त कार्रवाई और सत्यापन के निर्देश दिए हैं। ऐसे में विवाद का अंतिम निष्पक्ष राजनीतिक आरोपों के बजाय निर्वाचन अधिकारियों की जांच, उपलब्ध दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया से तय होगा। राजनीतिक आरोपों के बीच बढ़ टकराव SIR को लेकर मुख्यमंत्री शिवकुमार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र के बीच बयानबाजी से कर्नाटक की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। एक ओर मुख्यमंत्री ने कथित सामूहिक फॉर्म–7 आवेदन को लेकर जांच और एफआईआर की मांग की है, वहीं भाजपा ने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। अब निगाहें निर्वाचन अधिकारियों की जांच और उन मामलों पर रहेंगी, जिनमें फॉर्म–7 के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने के अपराधों के लिए दाखिल की गई हैं। यह प्रक्रिया ही स्पष्ट करेगी कि कितने आवेदन वास्तविक आपत्तियों से जुड़े हैं और किन मामलों में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आते हैं।

KPSC पेपर लीक:40 लाख तक में बिका प्रश्नपत्र, 1.52 करोड़ के लेन–देन की जांच

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक और पैसों के लेन–देन की जांच अब राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप के साथ–साथ जांच एजेंसियों की कार्रवाई का भी केंद्र बन गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं और भाजपा सांसद संवित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा है। हालांकि, इन राजनीतिक आरोपों को संबंधित पक्षों के बयानों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जांच एजेंसियों के अनुसार, जनवरी 2026 में 400 पशु चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए हुई परीक्षा में करीब 1,400 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 8 और 9 जनवरी को आयोजित की गई थी। जांच में आरोप सामने आया है कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी 7 जनवरी को प्रश्नपत्र कुछ लोगों तक पहुंच गया था। बाद की जांच में 60 से 80 प्रश्नों के कथित रूप से पहले

से उपलब्ध कराए जाने और करीब 1.52 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन–देन का पता चलने की बात सामने आई है। मामले में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब परीक्षा में शामिल हुए डॉ. एस. मंजुनाथ ने 24 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कथित तौर पर यह सवाल उठाया कि कमजोर शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में असामान्य रूप से अधिक अंक कैसे हासिल किए। इसी शिकायत के बाद जांच आगे बढ़ी और CID तथा ED ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान CID ने कुछ शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थियों के उत्तरों का सांख्यिकीय विश्लेषण भी किया। रिपोर्टों के मुताबिक 14 शीर्ष रैंक वाले उम्मीदवारों के सही और गलत उत्तरों में 99.9 प्रतिशत तक समानता पाई गई, जिसे जांच एजेंसी ने कथित पेपर लीक से संभावित लाभ का संकेत माना है। 30 से 40 लाख रुपये में प्रश्नपत्र देने का आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, उस समय KPSC के परीक्षा नियंत्रक रहे IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार पर प्रश्नपत्र और उसके



दी गई थी। म्क के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र और उत्तर उपलब्ध कराने के लिए करीब 30 से 40 लाख रुपये तक लिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों को बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में स्थित रिसॉर्ट या अन्य ठिकानों पर ले जाकर कथित रूप से प्रश्नपत्र के उत्तर याद करवाए गए और बाद में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। 1.

का उल्लेख सामने आया है। जांच रिपोर्टों के अनुसार, तीन अभ्यर्थियों ने बैकलॉग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया और कथित तौर पर बड़ी रकम का भुगतान किया था। मुख्य श्रेणी में भी कई ऊंची रैंक वाले अभ्यर्थियों के कथित भुगतान की जांच की जा रही है। ED की जांच में यह आरोप भी सामने आया है कि बिचौलिए ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक

गंगवार को करीब 1.3 करोड़ रुपये दिए थे। इन आरोपों के संबंध में वित्तीय लेन–देन, बैंक खातों और अन्य संपत्तियों की जांच जारी है। IAS अधिकारी और बिचौलिया गिरफ्तार मामले में पूर्व KPSC परीक्षा नियंत्रक IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार और कथित बिचौलिए बसवराज कन्नाले को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। हालांकि, प्रश्नपत्र खरीदने के आरोप वाले अभ्यर्थियों को लेकर जांच एजेंसियां अभी आगे की पड़ताल कर रही हैं और उनकी भूमिका के आधार पर उन्हें आरोपी या सरकारी गवाह बनाए जाने का फैसला किया जाना है। परीक्षा में करीब 1,400 उम्मीदवार शामिल हुए थे और 329 उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया सामने आई थी। कथित अनियमितताओं के चलते चयन प्रक्रिया और नियुक्तियों का भी सवाल उठे हैं। जांच के साथ राजनीतिक आरोप भी तेज मामले को लेकर भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेतृत्व और

राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। यह भाजपा का राजनीतिक आरोप है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच एजेंसियों के निष्कर्षों से अलग विषय है। मामले के अलग–अलग चरणों में कथित पैसों के लेन–देन और सूची में हेरफेर की संभावनाओं की भी जांच हो रही है। ऐसे में आगे की जांच और अदालतों में पेश होने वाले साक्ष्य यह तय करेंगे कि आरोपों की कानूनी स्थिति क्या बनती है।

कोडागु में तेज हवाओं का कहर, छतें उड़ें और पेड़–बिजली खंभे गिरे

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com कोडागु, 2 अक्टूबर 2026। कर्नाटक के कोडागु जिले के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कुशलनगर और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। वहीं, कुछ मकानों की छतों को भी नुकसान पहुंचा। कुशलनगर के निकट गौंडी बसवना हल्ली में तेज हवा और बारिश के दौरान एक मकान की छत की चादरें उड़ गईं। घटना के समय घर के अंदर मौजूद एक महिला घायल हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी क्षेत्र में एक अन्य ग्रामीण के मकान की छत भी तेज हवाओं की चपेट में आ गई, जिससे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ा। तूफानी हवाओं के कारण जिले के विभिन्न इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की घटनाएं सामने आईं। कुशलनगर के निकट कुडुगे औद्योगिक क्षेत्र में भी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान हुआ। सड़क पर पेड़ गिरने से कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गिरे हुए पेड़ों को हटायी और आगमन बहाल किया। कुडुमंगलुर में एक पेड़ सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन पर जा गिरा। हालांकि, राहत की बात रही कि वाहन चालक सुरक्षित बच गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने स्थिति संभालने में सहयोग किया। कोडागु के कुशलनगर, सुंटीकोप्पा, सिद्धापुरा और नापोकलु सहित विभिन्न क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। लंबे समय से तेज गर्मी का सामना कर रहे किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। बारिश के बाद कृषि क्षेत्र में भी उम्मीद जगी है। मौसम में बदलाव को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कोडागु जिले के लिए अगले दो दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन और संबंधित विभाग तेज हवाओं तथा बारिश से संभावित नुकसान को देखते हुए स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से भी मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की गई है।

